

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 13.01.2024

कूटरचित दस्तावेज/वीजा तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने का अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा द्वारा गैंग लीडर मो०अलीम पुत्र मो० कलीम ग्राम सुफीयान थाना कोतवाली रूधौली जनपद अयोध्या व गैंग के 01 अन्य सदस्य के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर मो०अलीम पुत्र मो० कलीम उपरोक्त स्वयं और अपने गिरोह के 01 अन्य सदस्य अबरार पुत्र इसरार निवासी सिपहिया कोटवा थाना मवई जनपद अयोध्या के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी विजा तैयार करना तथा विदेश भेजने के नाम पर लोगो को ठगने जैसे अन्य गम्भीर अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य 01 सदस्यों का सामान्यतः आमजन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर मो०अलीम पुत्र मो० कलीम उपरोक्त व गिरोह के अन्य 01 सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मु०अ०सं० 22/2024 धारा धारा 2 (ख) (i) (xi) / 3 (i) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा विदेश भेजने हेतु अवैध व कूटरचित वीजा देने व पैसे लेकर गबन करने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 22/ 2025 धारा 2 (ख) (i) (xi) / 3 (i) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि०-1986 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

अभियुक्तों का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

1. गैंग लीडर मो०अलीम पुत्र मो० कलीम ग्राम सोफीयाना थाना कोतवाली रूधौली जनपद अयोध्या।
 - i. मु०अ०सं० 298/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
 - ii. मु०अ०सं० 307/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
 - iii. मु०अ०सं० 315/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. अबरार पुत्र इसरार निवासी सिपहिया कोटवा थाना मवई जनपद अयोध्या।
 - i. मु०अ०सं० 298/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
 - ii. मु०अ०सं० 307/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
 - iii. मु०अ०सं० 315/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर